सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

बिहार राज्य महिला आयोग,

1, साउथ बेली रोड, पटना-1

Registered No. P.T. 40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 ज्येष्ठ 1921 (श०)

सं० पटना 203 **पटना, शुक्रवार 4 जून, 1999**

बिहार राज्य महिला आयोग, 1, साउथ बेली रोड, पटना-1

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचनाएं

2 जून 1999

सं0 एल0 जी0 1- 02/99 लेज0 - 147 बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल, बिहार, दिनांक 31 मई, 1999 को अनुमति दे चुके है:

इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है-

(बिहार अधिनियम 6, 1999)

बिहार राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999

महिलाओं के लिए राज्य आयोग गठित करने तथा उससे संबधित विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणतंत्र के पचासवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय 1

प्रारम्भिकी

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ - (1) यह अधिनियम बिहार राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह उस तिथि से प्रवृत होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **परिभाषाएं** - इस अधिनियम मे जबतक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) 'आयोग' से अभिप्रेत है, धारा 3 के अंतर्गत गठित बिहार राज्य महिला आयोग।

(ख) 'सदस्यों' से अभिप्रेत है, आयोग के सदस्य और इसमें सदस्य-सचिव भी सम्मिलित होंगे।

(ग) 'विहित' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा विहित।

अध्याय II

3. बिहार राज्य महिला आयोग का गठन - (1) बिहार राज्य सरकार द्वारा एक निकाय का गठन किया जाएगा जो बिहार राज्य महिला आयोग के नाम जाना जायेगा जो इस अधिनियम के अंतर्गत उसे प्रदत शक्तियों का प्रयोग तथा उसे समुनुदेशित कृत्यों का पालन करेगा। इस आयोग के अध्यक्ष एवं सभी गैर-सरकारी सदस्य महिलाएं होंगी।

(2) यह आयोग निम्नलिखित को मिलाकर होगा :- (क) अध्यक्ष का, जो महिलाओं के लिए वचनबद्ध हो, मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(ख) इसके अतिरिक्त बिहार सरकार द्वारा सात गैर - सरकारी महिला सदस्यों का मनोनयन उनकी योग्यता, सत्यनिष्ठा एवं कार्यो को देखकर निम्नरूप में किया जायेगा :-

(i) कुल सात गैर-सरकारी सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जन-जाति, एक अल्पसंख्यक समुदाय एवं एक पिछड़ा वर्ग से होंगी, जिन्हें समाज-सेवा का पर्याप्त अनुभव हो।

(ii) एक सदस्य जिन्हें विधि और विधान का अनुभव हों।

(iii) एक सदस्य जिन्हें स्वयसेवी संस्था, ट्रेड यूनियन या ऐसी संस्था या उद्योग की व्यवस्था या प्रबंधन का अनुभव हो, जिससे रोजगार में वृद्धि लायी जा सके।

(iv) एक सदस्य जिन्हें समाज कल्याण या प्रशासन या स्वास्थ्य या शिक्षा का अनुभव हों।

(ग) कल्याण विभाग के एक प्रतिनिधि के रूप में एक सरकारी सदस्य।

(घ) गृह विशेष विभाग के एक प्रतिनिधि के रूप में एक सरकारी सदस्य।

(च) बिहार राज्य महिला विकास निगम, पटना के प्रबंध निदेशक आयोग की पदेन सदस्य सचिव होंगी।

4. अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल एंव सेवा-शर्तें - (1) अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य उस तीन वर्षों से अधिक कालावधि के लिए पदधारण करेंगे जो इस निमित अधिसूचना में राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय।

(2) अध्यक्ष या कोई भी गैर-सरकारी सदस्य लिखित रूप में या सरकार को पत्र संबोधित कर अध्यक्ष अथवा सदस्य के पद से पद -त्याग कर सकता है, यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य - (क) अनुन्मोचित दिवालिया घोषित कर दिया गया हो।

(ख) नैतिक अधमता में संलग्न होने के अपराध में सिद्ध-दोषी अथवा कारावास के लिए दंडित कर दिया गया हो।

(ग) विकृत चित हो गया हो तथा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा वैसा घोषित कर दिया गया हो।

(घ) अपना कार्य करने से इंकार करते हो या करने में अक्षम हो।

(च) बिना अवकाश प्राप्त किये लगातार आयोग के तीन बैठकों में अनुपस्थित रहें हों।

(छ) राज्य सरकार के मत में अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य का अपने पद पर बने रहना लोकहित में हानिकारक हो, तो राज्य सरकार द्वारा उसको पद से हटाया जा सकेगा।

(ज) उप-धारा (2) के अधीन अथवा अन्यथा रिक्ति होने पर वह नये मनोनयन द्वारा भरी जायेगी।

5. आयोग के अध्यक्ष एवं गैर-सरकारी सदस्यों को देय सुविधायें - बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष एवं गैर-सरकारी सदस्य का पद बिल्कुल अवैतनिक एवं स्वैच्छिक होगा फिर भी आयोग से संबंधित कार्यों के लिए अध्यक्ष एवं सदस्यों को सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप यात्रा-भता और दैनिक भत्ता देय होगा।

6. आयोग के पदाधिकारी तथा कर्मचारीगण - (1) इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन हेतु आवश्यकतानुसार राज्य सरकार द्वारा पदाधिकारी तथा कर्मचारी उपलब्ध कराये जायेंगे।

(2) आयोग के प्रयोजनार्थ नियुक्त किये गये पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को देय वेतन एवं भत्ते तथा उनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन वही होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय।

7. अनुदान की राशि से वेतन एवं भत्ते का भुगतान किया जाना - अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को देय भत्ते, इत्यादि और धारा 6 में निर्देशित अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते एवं पेंशन को सम्मिलित करते हुए प्रशासनिक व्यय का भुगतान अनुदान से किया जायेगा।

8. आयोग की कार्यवाही का रिक्ति, इत्यादि के कारण अविधिमान्य न होना - आयोग को किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही पर कोई आक्षेप नहीं किया जायेगा अथवा आयोग के गठन में किसी प्रकार की रिक्ति या त्रुटि विद्यमान रहने मात्र के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी।

9. आयोग द्वारा गठित समितियां - (1) आयोग द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार विशेष मामलों के निष्पादन हेतु समितियां गठित की जा सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अंतर्गत गठित समिति के सदस्य के रूप में किसी भी व्यक्ति को सहयोजित करने का अधिकार आयोग को रहेगा, यदि वह व्यक्ति आयोग का सदस्य नहीं है, यदि उसे आयोग योग्य समझता है, ऐसे सहयोजित व्यक्ति को समिति के बैठक में उपस्थित रहने तथा भाग लेने का अधिकार होगा, परन्तु उसे मताधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(3) वह व्यक्ति, जिसे सहयोजित किया जायेगा, समिति की बैठक में भाग लेने के लिए ऐसा भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा जो विहित किया जाय।

9. क आयोग द्वारा प्रक्रिया का विनियमन - (1) आयोग अथवा उसकी समिति की बैठक हेतु समय, स्थान, तिथि का निर्धारण आयोग अथवा संबंधित समिति के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

(2) आयोग अपनी तथा सभी समितियों की प्रक्रिया विनियमित करेगी।

(3) आयोग के सभी आदेशों तथा निर्णयों को सदस्य-सचिव अथवा आयोग के अन्य किसी पदाधिकारी द्वारा जिन्हें सदस्य-सचिव द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, अधिप्रमाणित किया जायेगा।

अध्याय III

10. (1) आयोग का कृत्य - आयोग निम्नलिखित कृत्यों में से सभी या किसी भी कृत्य का पालन करेगी:-

(क) विद्यमान विधियों के अधीन महिलाओं के लिए सुरक्षा से संबंधित सभी तथ्यों का अन्वेषण और जांच करना।

(ख) महिलाओं की सुरक्षा के काम-काज पर एक प्रतिवेदन वार्षिक अथवा किसी भी समय, जैसा कि आयोग उचित समझे, राज्य सरकार के पास प्रस्तुत करना।

(ग) राज्य में महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु सुरक्षा के दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन हेतु प्रतिवेदन में अनुशंसा करना।

(घ) महिलाओं को प्रभावित करनेवाले विद्यमान उपबंधों और विधियों का समय-समय पर पुनर्वलोकन करना और उनके बारे में संशोधन की अनुशंसा करना ताकि विधान में किसी कमी, अपर्याप्तता या कमजोरियों को ठीक करने हेतु सुधारात्मक विधायी अध्युपायों के संबंध में परामर्श दिया जाय।

(च) राज्य मे महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अत्याचारों और महिलाओं से संबंधित विधियों के उल्लंघन के सभी मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष लाना।

(छ) निम्नलिखित से संबंधित विषयों पर शिकायतों की जांच करना और स्वप्रेरणा से ध्यान देना।

(i) महिलाओं को अधिकारों से वंचित करने।

(ii) महिलाओं के संरक्षण और समानता तथा विकास के उदेश्य को प्राप्त करने हेतु भी उपबंध करने के लिए अधिनियमित की गई विधियों का क्रियान्वयन न किया जाना।

(iii) महिलाओं की कठिनाइयों को दूर करने तथा कल्याण सुनिश्चित करने और राहत उपलब्ध कराने के उद्धेश्य वाले नीतिगत निर्णयों, मार्गदर्शनों या अनुदेशों का पालन न किये जाने। और समुचित प्राधिकारियों के साथ ऐसे विषयों से उत्पन्न होनेवाले मुद्दों को लेना।

(ज) भेदभाव से उत्पन्न होनेवाले विनिर्दिष्ट समस्याओं या स्थितियों के बारे में विशेष अघ्ययन या अन्वेषण करना तथा मजबूरियों को पहचान करना ताकि उनको दूर करने हेतु योधन नीति की अनुशंसा की जाय।

(झ) उत्थान एवं शैक्षणिक शोध का जिम्मा लेना ताकि तरीके सुझाये जा सके और सभी क्षेत्रों में महिलाओं का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके और उनके उत्थान जैसे, घरों तक पहुंच, मौलिक सेवाओं , अपर्याप्त समर्थक सेवाओं की कमी तथा भेषजापण व्यावसायिक स्वास्थ्य परिसंकटों के कम करने और उनकी उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु आसन्न उत्तरदायी बातों की पहचान करना।

(ट) महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना-प्रक्रिया में भाग लेना और परामर्श देना।

(ठ) राज्य के अधीन महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

(ड) कारागार प्रतिप्रेषण गृहों, महिलाओं की संस्था या अन्य अभिरक्षा का स्थान, जहाँ महिलाएँ कैदी के रूप में या अन्यथा रखी जाती हों, का निरीक्षण करना या करवाना और यदि आवश्यक पाया जाय तो सुधारात्मक कार्रवाई हेतु संबंधित प्राधिकारियों के साथ लग जाना।

(ढ़) महिलाओं के बड़े निकाय को प्रभावित करनेवाले अंतग्रस्त मुद्दों के लिए विवाद निधि।

(त) महिलाओं से संबंधित किसी विषय, विशेष रूप से उन विभिन्न कठिनाईयों के बारे में जिनके अधीन महिलाएं पीड़ित होती है सरकार को सामयिक प्रतिवेदन देना है।

(थ) कोई अन्य विषय जिसे राज्य सरकार द्वारा उसको सौंपा जाय।

(2) राज्य सरकार उप-धारा (1) के खंड (ख) में निर्देशित सभी प्रतिवेदनों को, राज्य से सबंधित अनुशंसाओं पर की गई अथवा की जानेवाली प्रस्तावित कार्रवाई और अस्वीकृति, यदि कोई हो, अथवा इन अनुशंसाओं में से किसी की भी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करते हुए ज्ञापन के साथ विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) आयोग को, जब उप धारा (1) के खंड (क) और खंड (छ) के उप-खंड (1) मे निर्देशित किसी विषय के बारे में अन्वेषण कर रहा हो, विशेष रूप से निम्नलिखित विषय के संबंध में, किसी वाद को विचारण करनेवाले सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां पाप्त होंगी :-

(क) भारत के किसी भी भाग के किसी भी व्यक्ति को सम्मन करने, उपस्थित होने हेतु बाध्य करने और शपथ पर उसका परीक्षण करने।

(ख) किसी दस्तावेज की खोज और उपस्थापन की अध्यपेक्षा करने।

(ग) शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने।

(घ) किसी न्यायालय या अधिकारी से किसी लोक-अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करने।

(च) साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन बहाल करने।

(छ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय।

अध्याय IV

वित्त, लेखा एवं अंकेक्षण

11. राज्य सरकार द्वारा अनुदान - (1) राज्य सरकार इसके निमित्त विधि द्वारा, विधान मंडल द्वारा पारित सम्यक् विनियोग के पश्चात् अनुदान के रूप में उतनी धन राशि आयोग को देगी जितनी सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग होने हेतु उचित समझें।

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के अनुपालन के लिए उतनी रकम खर्चा कर सकेगी जितनी वह उचित समझे और वह रकम उप-धारा (1) में निर्देशित अनुदान से भुगतेय व्यय के रूप में होगी।

(3) राज्य सरकार अध्यक्ष और सदस्य-सचिव की वित्तीय शक्तियों और आयोग के कार्यों से संबंधित विषयों के लिए निधि की मंजूरी हेतु प्रक्रिया विहित करेगी।

12. लेखा एवं अंकेक्षण - (1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और उस प्रारूप में वार्षिक लेखा विवरणी तैयार करेगा, जो राज्य के महालेखाकार की सहमति से राज्य सरकार विहित करे।

(2) आयोग के लेखा का अंकेक्षण कार्य महालेखाकार द्वारा निर्धारित अंतराल पर किया जाएगा एवं इस कार्य पर किया गया व्यय आयोग द्वारा महालेखाकार को देय होगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखा के अंकेक्षण के संबंध में महालेखाकार और इसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को वे सारे अधिकार और विशेषाधिकार और ऐसे अंकेक्षण के संबंध में प्राधिकार प्राप्त होंगे जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सामान्य रूप से सरकारी लेखाओं के अंकेक्षण के संबंध में प्राप्त है और विशेष रूप से पंजी, लेखा, संबंधित वाउचर और अन्य दस्तावेजों तथा कागजातों की मांग करने और आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) महालेखाकार या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सत्यापित आयोग का लेखा, उस पर अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ आयोग द्वारा वार्षिक रूप से राज्य सरकार को अग्रसारित किया जाएगा।

13. वार्षिक प्रतिवेदन - आयोग उस प्रारूप में और उस समय, जो विहित किया जाय प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपना वार्षिक प्रतिवेदन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों का पूर्ण लेखा देते हुए, तैयार करेगा और उसकी एक प्रति राज्य-सरकार को अग्रसारित कर देगा।

14. वार्षिक प्रतिवेदन और अंकेक्षण प्रतिवेदन का विधान मंडल में रखा जाना - राज्य सरकार एक वार्षिक प्रतिवेदन, उसमें अंतर्विष्ट अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई, जहॉ तक वे राज्य सरकार से संबंधित हो, के कारणों के ज्ञापन के साथ और अंकेक्षण - प्रतिवेदन यथाशीघ्र, प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात, विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगा।

अध्याय V

प्रकीर्ण

15. आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा स्टाफों को लोक-सेवक होना - आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अभिप्रेत के अंतर्गत लोक-सेवक समझे जायेंगे।

16. राज्य सरकार द्वारा आयोग से सलाह लेना - राज्य सरकार महिलाओं को प्रभावित करनेवाले सभी गंभीर नीतिगत विषयों पर आयोग की सलाह लेगी।

17. नियम बनाने की शक्ति - (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों का क्रियान्वित करने हेतु नियमावली बना सकेगी।

(2) विशिष्टत: और पूर्ववर्त्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार निम्नलिखित में से सभी या किसी के विषय में ऐसे नियमों का उपबंध कर सकेगी जिसे वह उचित समझे, यथा-

(क) धारा 5 के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों के भुगतेय भत्ते इत्यादि और सेवा के निबंधन और शर्त्ते धारा 6 की उप-धारा (2) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते।

(ख) धारा 8 की उप-धारा (3) के अधीन सहयोजित व्यक्तियों द्वारा समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए भत्ते।

(ग) धारा 10 की उप-धारा (4) के खंड (छ) के अधीन अन्य विषय।

(घ) प्रारूप जिसमें धारा 12 की उप-धारा (1) के अधीन वार्षिक लेखा विवरणी रखी जायगी।

(च) प्रारूप और समय, जब और जिस रूप में वार्षिक प्रतिवेदन धारा 13 के अधीन तैयार किया जाएगा।

(छ) कोई अन्य विषय जो अपेक्षित हो या विहित किया जाय।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह तीस दिनों की कुल कालावधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र या अथवा दो या अधिक अनुवर्ती सत्रों को मिलाकर हो सके रखा जाएगा, और यदि तुरंत आगामी सत्र या कथित अनुवर्ती सत्रों को मिलाकर हो सके रखा जाएगा, और यदि तुरंत आगामी सत्र या कथित अनुवर्त्ती सत्रों की समाप्ति के पूर्व दोनों सदन नियम में कोई उपांतरण में सहमत् हों अथवा दोनों सदन इस बात पर सहमत हों कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो वह नियम उसके बाद यथास्थिति, केवल उस उपांतरित प्रारूप में प्रभावी होगा अथवा उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, फिर भी कोई ऐसा उपांतरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की बिधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजेन्द्र प्रसाद

सरकार के सचिव, विधि विभाग।

2 जून 1999

संख्या एल. जी. 1-02/99 -लेज0-148 बिहार विधान मंडल द्वारा यथापरित और राज्यपाल, बिहार द्वारा 31 मई, 1999 को अनुमत बिहार राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) अधीन अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा -

बिहार सरकार

कल्याण विभाग

अधिसूचना संख्या- 7/म0आ0-02/99. 3038/ पटना-800015, दिनांक-08.08.2001

बिहार राज्य महिला आयोग विधेयक, 1999 के अध्याय-2, धारा-3 के अंतर्गत राज्य सरकार ने राज्य में बिहार राज्य महिला आयोग के गठन करने का निर्णय लिया गया है, तदनुसार इस आयोग के अध्यक्ष एवं दस अन्य (गैर सरकारी एवं सरकारी) की सूची निम्न प्रकार है :-

1. श्रीमती मंजू प्रकाश – अध्यक्ष ।
   पूर्व स0वि0स0,
   ग्राम-इन्दौर, पोस्ट-इन्दौर,
   थाना-इटाढ़ी, जिला-बक्सर,
   (गांधी संग्राहालय के निकट गॉधी मैदान, पटना)
2. श्रीमती गीता कुमारी (अनु0 जाति) सदस्य ।
   पति-श्री विजय कुमार,
   12, बेली रोड, पटना।
3. श्रीमती अंजू मिंज (अनु0 जनजाति) सदस्य ।
   पति-श्री ललित भगत,
   फ्लैट नं0-29, डिफेंस कॉलोनी,
   पो0-लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना।
4. श्रीमती शहनाज हसन (अल्पसंख्यक) सदस्य ।
   पति-डॉ एस0 महीबुल हसन हीरा,
   447, नेहरू नगर, पटना-13
5. श्रीमती उषा सिन्हा (पि0 वर्ग) सदस्य ।
   रीडर, हिन्दी विभाग, कॉलेज ऑफ कामर्स,
   सरदार पटेल कॉलोनी, सन्दलपुर रोड,
   शनीचरा स्थान, पो0-महेन्द्रू, पटना-6
6. श्रीमती सुमित्रा कुमारी, सदस्य ।
   अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय,
   मोहनपुर, न्यू पुनाईचक, पटना-23
7. श्रीमती लक्ष्मी देवी सदस्य ।
   पूर्व स0वि0स0,
   ग्राम-दशरथपुर, भाया-जमालपुर,
   जिला-मुंगेर।
8. डॉ0 (श्रीमती) कमला कुमारी सिन्हा, सदस्य ।
   मकान नं0-बी/6, सेक्टर-डी.
   कंकड़बाग, पटना।

9. कल्याण विभाग द्वारा मनोनित एक प्रंतिनिधि- पदेन सदस्य ।
10. गृह (विशेष) विभाग द्वारा मनोनीत एक प्रतिनिधि- पदेन सदस्य ।
11. प्रबंध निदेशक, पदन सदस्य सचिव ।
बिहार राज्य महिला विकास निगम

2- यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार
ह0 /-
(सी0 के0 सिंह)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-3088 / पटना-800015, **दिनांक**-08.08.2001

प्रतिलिपिः- हस्ताक्षरित प्रति के साथ अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को अगले अंक के राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

2- कृपया इसकी 500 प्रतियॉ कल्याण विभाग को भेजने का कष्ट करेंगे।

(सी0 के0 सिंह)
सरकार के उप सचिव